

संपादकीय

शोर पर अदालत की थाप जब आवाज हद पार करे

देश में अब शोर केवल आवाज नहीं रहा, बल्कि बीमारी बन गया है। हर गली, हर मोहल्ला और हर त्योहार शोर की गिरफ्त में है। शादी हो तो डीजे, चुनाव हो तो लाउडस्पीकर, त्योहार हो तो पटाखे और सड़क पर हॉर्न। हमने खुशी को डेसिबल में नापना शुरू कर दिया है। जितनी तेज आवाज, उतनी बड़ी खुशी। यह सोच ही सबसे बड़ा शोर है। अदालतों को अब कहना पड़ रहा है कि आवाज धीमी करो, पर क्या हमें यह बताने के लिए भी अदालत चाहिए कि तेज आवाज सेहत के लिए नुकसानदायक है?

कानून कहता है कि रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। अस्पतालों और स्कूलों के पास शांत क्षेत्र निर्धारित हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है। रात बारह बजे तक डीजे बजता है और पुलिस देखती रहती है। अस्पतालों के सामने हॉर्न बजते हैं और स्कूलों के पास पटाखे फूटते हैं। ध्वनि मापक यंत्र थानों में धूल खाते हैं और लोग परेशान होते रहते हैं। कानून तभी प्रभावी होता है, जब उसके उल्लंघन पर कार्रवाई का डर हो।

हर थाने को ध्वनि मापक यंत्र मिले और हर वार्ड में दो स्वयंसेवक शोर पर निगरानी रखें। यह व्यवस्था पुलिस को जनता से जोड़ सकती है। पुलिस हर गली में नहीं पहुंच सकती, लेकिन मोहल्ले के जागरूक लोग नियमों के उल्लंघन की सूचना पुलिस को दे सकते हैं। शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाए, तो लोग आगे आने के लिए प्रोत्साहित होंगे। शोर रोकने के लिए केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि सामाजिक निगरानी भी जरूरी है।

शोर केवल कानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि दिल, दिमाग और नींद पर भी असर डालता है। लगातार तेज आवाज से रक्तचाप बढ़ सकता है और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बच्चों की एकाग्रता प्रभावित होती है, बुजुर्गों की नींद बाधित होती है और गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके बावजूद हम ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लेते। तेज डीजे को शान समझते हैं, जबकि यह सेहत के लिए खतरा है।

हमारे त्योहारों का रूप बदल गया है। भक्ति कम, शोर ज्यादा। जागरण में लाउडस्पीकर पूरी आवाज में बजते हैं, शादियों में डीजे की धूम रहती है और त्योहारों पर पटाखों की बौछार होती है। क्या भगवान को खुश करने के लिए कानों को परेशान करना जरूरी है? जो धर्म शांति सिखाता है, उसी के नाम पर अशांति क्यों? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में आवाज धीमी रखकर भी प्रार्थना हो सकती है। धर्मगुरुओं को समझाना चाहिए कि भक्ति आवाज में नहीं, भाव में है।

हम स्मार्ट शहरों की बात करते हैं, लेकिन क्या स्मार्ट शहर में शांति नहीं होनी चाहिए? बिना वजह हॉर्न बजाना, निर्माण कार्यों की मशीनों और कारखानों के सायरन का शोर भी प्रदूषण बढ़ाता है। शहरों में ध्वनि प्रदूषण का नक्शा बने और शिकायतों के आंकड़े सार्वजनिक हों। शादी हॉल और डीजे संचालकों के लिए ध्वनि नियंत्रक अनिवार्य किए जाएं। स्कूलों में शोर के नुकसान बताए जाएं और चुनाव प्रचार में नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हो।

शोर पर अदालत की थाप चेतावनी है कि अब आवाज को काबू में करो। यह थाप केवल डीजे संचालकों के लिए नहीं, हम सबके लिए है, क्योंकि शोर हम फैलाते है और भुगतते भी हम ही हैं। शांत जीवन हर नागरिक का अधिकार है। हर थाने में ध्वनि मापक यंत्र और हर वार्ड में निगरानी की व्यवस्था लागू हो, तभी हमारा देश तरक्की के साथ सुकून की पहचान भी बना सकेगा।

आजकल

दुर्घटना से पहले तैयारी सोच का बदलाव

हमारे यहां अक्सर हादसे के बाद तैयारी होती है, हादसे से पहले नहीं। दीपावली की रात पटाखों से जलने, आंखों में चोट लगने, सड़क दुर्घटनाओं और धुएँ से सांस लेने में परेशानी के मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने चालीस एंबुलेंस को अलर्ट मोड पर रखकर, पंद्रह मिनट में मौके पर पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित कर और सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक की व्यवस्था करके सख्तीय पहर की है। यह केवल आदेश नहीं, बल्कि सोच में बदलाव है। त्योहार खुशियों का है, लेकिन उसकी कीमत किसी की जान नहीं होनी चाहिए।

आपातकालीन परिस्थितियों में समय सबसे कीमती होता है। पटाखों से झूलसने या सड़क दुर्घटना में घायल होने पर तत्काल उपचार मिलने से गंभीर परिणामों को टाला जा सकता है। जेपी अस्पताल और हमीदिया अस्पताल सहित प्रमुख सरकारी अस्पतालों में विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञों के साथ बर्न, मेडिसिन और सर्जरी के चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि मरीजों को इलाज के लिए भटकना न पड़े।

चालीस एंबुलेंस की तैनाती के साथ एक सौ आठ एंबुलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया है। हादसे के बाद शुरुआती समय में उपचार मिलना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एंबुलेंस की उपलब्धता और चिकित्सा कर्मियों की तत्परता जीवन बचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा के अनुसार, जेपी अस्पताल में पांच बिस्तरों का विशेष वार्ड तैयार किया गया है। हमीदिया अस्पताल में विशेष ट्रैज्टी रोस्टर बनाया गया है और आपातकालीन ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर आरक्षित रखे गए हैं। बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग में भी आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। सांस संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ऑब्सर्वेशन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हादसे के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से तैयारी करने का उदाहरण है। यदि ऐसी व्यवस्था हर बड़े त्योहार और आयोजन पर हो, तो दुर्घटनाओं के गंभीर परिणाम कम किए जा सकते हैं। चालीस एंबुलेंस, पंद्रह मिनट का लक्ष्य और पांच बिस्तरों का विशेष वार्ड जीवन बचाने की प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। यही सोच स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक सक्षम और भरोसेमंद बनाती है।

लोकतंत्र में संस्थाओं पर सवाल उठाना नई बात नहीं है, लेकिन जब सवाल चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संस्था पर उठते हैं, तो उसका असर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों से चुनाव आयोग को लेकर जो द्वंद्व और अविश्वास का माहौल बनाया गया था, उसकी नींव दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर पर टिकी थी। खबर में कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और दोनों चुनाव आयुक्तों ने दस महीने में चौदह बार अवहमति के नोट लिखे हैं। इस खबर ने विपक्ष को बड़ा राजनीतिक हथियार दे दिया। आयोग पक्षपाती है, उसके भीतर टकराव है और उसकी कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसे आरोपों की झड़ी लग गई। अब सुप्रीम कोर्ट में पेश चुनाव आयोग के जवाबी शपथ पत्र ने

इस विवाद को निर्णायक मोड़ पर ला दिया है। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और इसी के जवाब में आयोग ने 248 पन्नों का विस्तृत शपथ पत्र दाखिल किया। यह केवल खंडन नहीं, बल्कि आरोपों का बिंदुवार उत्तर है।

विपक्ष का सबसे बड़ा हमला आयोग के भीतर कथित टकराव को लेकर था। शपथ पत्र में आयोग ने स्पष्ट कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण लिए गए सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि शपथ पत्र पर मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के हस्ताक्षर हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फाइलों में

मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी दिल्ली से आई है। केंद्र ने देश में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का फैसला किया है और इस दौड़ में उज्जैन सबसे आगे निकल गया है। चयन समिति ने राज्य सरकार को दिल्ली बुलाया है। 28 अक्टूबर को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होगी, जहां राज्य के अधिकारी पूरे प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पेश करेंगे। जमीन से लेकर पानी और बिजली तक का पूरा खाका केंद्र के सामने रखा जाएगा। इसके बाद अंतिम मुहर लगेगी। राज्य ने पहले ही भैरवगढ़ के पास 50 एकड़ जमीन चिह्नित कर केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। यानी तैयारी पूरी है, बस हरी झंडी का इंतजार है।

बीस राज्यों ने दावेदारी की थी, लेकिन उज्जैन का पलड़ा भारी रहा। इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला, आस्था। महाकाल की नगरी उज्जैन में हर बारह साल में सिंहस्थ का आयोजन होता है, जिसमें दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि जीवनशैली भी है। जहां योग और अध्यात्म की परंपरा है, वहां आयुर्वेद के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। दूसरा, भौगोलिक स्थिति। उज्जैन प्रदेश के बीच में है और इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर से यहां पहुंचना आसान है। तीसरा, तैयारी। राज्य सरकार ने केवल जमीन नहीं दिखाई, बल्कि वहां तक सड़क, पानी और बिजली पहुंचाने की योजना भी तैयार की है।

यह केवल एक कॉलेज नहीं, बल्कि पूरा आरोग्य नगर होगा। यहां बड़ा अस्पताल बनेगा, और पंचकर्म, क्षारसूत्र

चांदी की चमक में छिपा एल्युमिनियम का जहर

मिठाई पर मौत का तर्क कौन देखेगा

भोपाल से जो रिपोर्ट सामने आई है, वह केवल भोपाल की नहीं, बल्कि देश के हर शहर की कहानी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अमरनाथ कॉलोनी और छोला रोड पर मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की और बताया कि मिठाइयों पर लगा वर्क चांदी का नहीं, एल्युमिनियम का है। यह सुनकर हर आम आदमी के मन में एक ही सवाल उठता है कि जो मिठाई वह अपने बच्चे को खिला रहा है और जो लड्डु भगवान को चढ़ा रहा है, वह चांदी है या किसी फेक्ट्री में बना मिलावटी उत्पाद?

तीन महीने में साढ़े छह लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया और 54 मामलों में अदालत में प्रकरण दर्ज किए गए। लेकिन क्या यह आंकड़ा वास्तव में बड़ी कार्रवाई का संकेत है? भोपाल जैसे बड़े शहर में, जहां हजारों मिठाई की दुकानें, डेयरियां और बड़ी मिठाई फैक्ट्रियां हैं, वहां केवल छह से आठ खाद्य सुरक्षा निरीक्षक हैं। उनके पास सीमित प्रयोगशाला सुविधाएं हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जांच कितनी प्रभावी हो पाती होगी।

मिठाई पर लगाने वाली वर्क चांदी का है या एल्युमिनियम का, इसकी जांच कौन करेगा? आम आदमी दुकान की चमक देखकर मिठाई खरीद लेता है। उसे क्या पता कि बर्फी की चमक चांदी की वजह से है या एल्युमिनियम की पन्नी की वजह से? खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, चांदी का वर्क शुद्ध होना चाहिए। इसे पीटकर बेहद पतला बनाया जाता है। दूसरी ओर, एल्युमिनियम का वर्क सस्ता होता है। एल्युमिनियम का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, विशेषकर जब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए। लेकिन यह बात किसी मिठाई की दुकान के बोर्ड पर नहीं लिखी होती। खाद्य विभाग कहता है कि सैंपल ले लिया गया है और प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। लेकिन यदि रिपोर्ट आने में महीनों या साल भर लग जाए, तो इसका क्या लाभ? भोपाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग के पास इतना अमला नहीं है कि वह हर त्योहार पर हर दुकान की जांच कर सके। दीपावली पर मिठाइयों का कारोबार कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन निरीक्षकों की संख्या सीमित रहती है।

यदि किसी ईमानदार निरीक्षक ने सैंपल ले भी लिया, तो रिपोर्ट आने में लंबा समय लग सकता है। प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी, रसायनों की अनुपलब्धता, खराब मशीनें और लॉबट फाइलें जांच को प्रभावित करती हैं। तब तक संबंधित कारोबारी मिलावटी माल बेचकर मोटा मुनाफा कमा चुका होता है। रिपोर्ट आने के बाद मामला प्रशासनिक प्रक्रिया और अदालत तक पहुंचता है। इस पूरी प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं। तब तक कारोबारी दुकान किसी दूसरे के नाम कर सकता है या कारोबार बंद कर सकता है।

दर्ज आंतरिक दिप्यणियां अतिम निर्णय नहीं होती। किसी भी संस्था में विचार-विमर्श होता है, लेकिन अंतिम निर्णय ही संस्था का आधिकारिक मत होता है। विपक्ष ने फॉर्म छह, घोषणा पत्र और ऑनलाइन पोर्टल को लेकर भी आरोप लगाए थे कि इनके माध्यम से मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से काटे जा जोड़े जा रहे हैं। आयोग ने इन्हें खारिज करते हुए कहा है कि फॉर्म छह में कोई बदलाव नहीं किया गया है और घोषणा पत्र अलग दस्तावेज है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की निर्धारित प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आयोग के अनुसार, बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर सूची में शामिल होने के इच्छुक लोगों की

नईदुनिया

उज्जैन बनेगा आरोग्य धाम की राजधानी



और जड़ी-बूटियों के माध्यम से उपचार की सुविधा मिलेगी। अनुसंधान प्रयोगशालाओं में आयुर्वेदिक औषधियों पर वैज्ञानिक शोध होगा। यहां बीएएमएस से लेकर एमडी और पीएचडी तक की पढ़ाई होगी, जिससे देशभर के विद्यार्थी आकर्षित होंगे। विशाल औषधीय उद्यान में सैकड़ों औषधीय पौधे उगाए जा सकेंगे। नीमच और मंदसौर के किसानों को इससे जोड़ा जा सकता है, ताकि

उन्हें अपनी उपज का बेहतर बाजार मिले।

योग और प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधाएं भी विकसित की जा सकती हैं।

यह परियोजना मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आदिवासी क्षेत्रों सहित दूरदराज के इलाकों में सुलभ चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो सकता है। अस्पताल और संस्थान में डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए रोजगार के

एजेंसियों की सुस्ती और नकली दवा का काला कारोबार

चार महीने में आती है रिपोर्ट, तब तक मरीज की जान जा सकती है

देश में दवा को जीवन कहा जाता है, लेकिन यही दवा जब नकली हो जाए तो जीवन बचाने के बजाय मौत का कारण बन सकती है। हाल ही में सामने आया मामला इस बात का उदाहरण है कि हमारे देश में दवाओं की जांच करने वाली एजेंसियां कितनी सुस्त हैं और नकली दवा बनाने वाले कितने सक्रिय। 22 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने नकली एंटी रेबीज वैक्सीन का जखीरा पकड़ा। यह वैक्सीन कुत्ते के काटने के बाद लगाई जाती है। यदि वैक्सीन नकली हो, तो रेबीज से बचाव सुनिश्चित नहीं हो सकता। पुलिस ने इसे जांच के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कसीली भेजा और रिपोर्ट 10 अगस्त को आई। यानी करीब साढ़े तीन महीने बाद। इन महीनों में यह नकली टीका कितने लोगों तक पहुंचा होगा, इसका हिसाब कौन देगा? इसके बाद 27 अगस्त को देश के औषधि महानियंत्रक ने राज्यों को अलर्ट किया। अप्रैल में पकड़ी गई दवा के बारे में चेतावनी अगस्त में जारी होना व्यवस्था की गंभीर खामी को उजागर करता है।

नकली दवाओं का मतलब केवल ऐसी दवा नहीं है, जिसमें कोई प्रभावी तत्व न हो। कई बार दूसरी कंपनी की दवा की हুবहू नकल करके उसका नाम, लेबल और पैकिंग तैयार कर दी जाती है। कहीं निर्धारित औषधीय तत्व की जगह सस्ता और अप्रभावी पदार्थ मिला दिया जाता है, तो कहीं पुरानी दवा पर नया लेबल लगाकर उसकी समाप्ति तिथि बदल दी जाती है। इस तरह तैयार दवाओं को असली दवाओं के साथ बाजार में पहुंचा दिया जाता है। पैकिंग इतनी सफाई से की जाती है कि दुकानदार और ग्राहक के लिए असली तथा नकली दवा में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। नकली दवाओं का खतरा अब सामान्य बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं है। उच्च रक्तचाप की दवा टेल्मा एएम, दर्द निवारक ब्यूप्रेनोर्फिन इंजेक्शन, एंटीबायोटिक सेफ्ट्रिक्सम और लिवर संबंधी समस्याओं में इस्तेमाल होने वाली उर्सोडियोक्सीकोलिक एसिड जैसी दवाओं के बैचों को लेकर भी मामले सामने आए हैं। ऐसी दवाएं प्रभावहीन हों तो मरीज का उपचार बाधित हो सकता है और उसकी स्थिति गंभीर हो सकती है। कैंसर, संक्रमण और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए यह खतरा और भी गंभीर है।

इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू जांच में होने वाली देरी है। जब तक रिपोर्ट आती है, तब तक संबंधित दवा बाजार में पहुंच चुकी हो सकती है। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक उसका वितरण हो सकता है। अलर्ट जारी होने तक मरीज दवा का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। दूसरी ओर, जिम्मेदार कंपनी अपना नाम बदलकर फिर कारोबार शुरू कर सकती है। कानून की कार्रवाई अक्सर अपराधी के पीछे चलती है, जबकि नकली दवा का कारोबार उससे आगे निकल जाता है।

विवाद खड़ा हुआ है। यह तरीख 1984 के सिख नरसंहार की बरसी से जुड़ी है और त्योहारों के समय के भी करीब है। रामलीला मैदान के आसपास के व्यापारियों ने कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग के संदर्भ में भी संवैधानिक प्रक्रिया का ध्यान रखना जरूरी है। इस पद से हटाने की निर्धारित प्रक्रिया संसद में महाभियोग से जुड़ी है।

इस पूरे विवाद को केवल चुनावी तकनीक तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। यह राजनीतिक विचारधाराओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का हिस्सा भी है। कांग्रेस और संघ के बीच वैचारिक विवाद खड़ा हुआ है। यह तरीख 1984 के सिख नरसंहार की बरसी से जुड़ी है और त्योहारों के समय के भी करीब है। रामलीला मैदान के आसपास के व्यापारियों ने कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग के संदर्भ में भी संवैधानिक प्रक्रिया का ध्यान रखना जरूरी है। इस पद से हटाने की निर्धारित प्रक्रिया संसद में महाभियोग से जुड़ी है।

इस पूरे विवाद को केवल चुनावी तकनीक तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। यह राजनीतिक विचारधाराओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का हिस्सा भी है।

कांग्रेस और संघ के बीच वैचारिक

चुनौतियां भी हैं। चिह्नित जमीन पर अतिक्रमण और मुआवजे से जुड़े विवादों का समय पर समाधान जरूरी है। केंद्र भवन निर्माण के लिए सहायता दे भी दे, तो संस्थान के संचालन, कर्मचारियों, बिजली और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च राज्य को उठाना होगा। इसके लिए पर्याप्त बजट सुनिश्चित करना होगा। आयुर्वेद के योग्य शिक्षकों की उपलब्धता भी चुनौती होगी। कई आयुर्वेदिक कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। उज्जैन का संस्थान ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे विश्वस्तरीय शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र बनाना होगा।

उज्जैन में महाकाल हैं, जो मृत्यु पर विजय के प्रतीक हैं, और धन्वतरि हैं, जिन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है। दोनों परंपराओं का संगम इस शहर को विशिष्ट पहचान दे सकता है। श्रद्धालु दर्शन के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे और देश-विदेश से आने वाले लोग योग तथा पंचकर्म से जुड़ सकेंगे। यह संस्थान भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का मंच बन सकता है।

28 अक्टूबर की बैठक इस दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। राज्य सरकार को केंद्र के सामने अपनी तैयारी और प्रतिबद्धता साबित करनी होगी। यदि यह परियोजना साकार हुई, तो उज्जैन आयुर्वेद के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर सकता है। इसके लिए ईमानदार प्रयास, मजबूत इच्छाशक्ति और निरंतर निगरानी जरूरी है। इन तीनों के सहारे उज्जैन को आरोग्य की नई राजधानी बनाने का सपना साकार हो सकता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)



जांच एजेंसियों की सुस्ती के पीछे प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी, पुरानी मशीनें, बढ़ते सैंपल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिम्मेदारी के बंटवारे के कारण भी कार्रवाई में देरी होती है। पुलिस, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, राज्य सरकारों और औषधि निरीक्षकों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में संसदे अधिक उपेक्षित मरीज है, जो भरोसे के साथ दवा खरीदता है, लेकिन उसे यह पता ही नहीं होता कि उसकी दवा सुरक्षित है या नहीं।

इस कारोबार पर रोक लगाने के लिए केवल अलर्ट जारी करना पर्याप्त नहीं है। औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या और क्षमता बढ़ानी होगी। हर राज्य में पर्याप्त जांच सुविधाएं विकसित करने के साथ जिलों में दवाओं की प्रारंभिक जांच के लिए मोबाइल प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जा सकती है। जांच रिपोर्ट जारी करने की समयसीमा तय होनी चाहिए और संदिग्ध दवाओं के मामलों में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। नकली दवा बनाने वालों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

हर दवा पर क्यूआर कोड के माध्यम से उसके निर्माता, बैच और प्रामाणिकता की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी उपयोगी हो सकती है। इसे व्यापक स्तर पर लागू करने के साथ औषधि निरीक्षकों की संख्या बढ़ाना, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना और मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच करना जरूरी है। आम लोगों को भी दवा खरीदते समय बिल लेने, समाप्ति तिथि देखने और संदिग्ध दवा की शिकायत करने के प्रति जागरूक करना होगा।

नकली दवाओं का कारोबार केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि मानव जीवन के साथ गंभीर खिलवाड़ है। यह लोगों की जेब ही नहीं, उनकी सेहत और जिंदगी पर भी हमला है। यदि जांच एजेंसियां इसी तरह सुस्त रहें, तो लोगों का दवाओं पर भरोसा कमजोर होगा। सरकार को समय रहते इस काले कारोबार पर सख्त आंकुश लगाना होगा, अन्यथा हर नया अलर्ट व्यवस्था की विफलता और किसी मरीज की पीड़ा की कहानी बनता रहेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

विरोध दशकों पुराना है। आज कांग्रेस विभिन्न विरोधी विचारधाराओं वाले समूहों के साथ खड़ी दिखाई देती है। ऐसे में चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों का राजनीतिक महत्व भी है। राहुल गांधी और कांग्रेस को चुनाव आयोग के शपथ पत्र पर सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन अदालत में पहुंची लड़ाई का फैसला दस्तावेजों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही होगा। 248 पन्नों के शपथ पत्र में आयोग ने अपना पक्ष रखा है। अब न्यायिक परीक्षण के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट होगी। लोकतंत्र में संस्थाओं की जवाबदेही जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि उन पर लगाए गए आरोप ठोस तथ्यों पर आधारित हों। राजनीतिक विरोध के बीच संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा बनाए रखना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)